"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] रायपुर, सोमवार, दिनांक 12 मार्च 2012—फाल्गुन 22, शक 1933

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2012

क्रमांक 01/चार/रा.स.चु./2012/413.—राज्य सभा निर्वाचन-2012 हेतु भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का अधिसूचना संख्या-318/1/2012 (1), दिनांक 12 मार्च, 2012 एवं अधिसूचना संख्या-318/1/2012 (2), दिनांक 12 मार्च, 2012 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

सुनील कुजूर,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च, 2012—फाल्गुन 22, 1933 (शक)

अधिसूचना

सं.-318/1/2012 (1).—यतः, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी और भारत के राजपत्र में 12 मार्च, 2012 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों की विधान सभा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की है कि उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में राज्यों के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य निर्वाचित कर दें.

सारणी

राज्य (1)		निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या (2)
(1)	आन्ध्र प्रदेश	6
(2)	छत्तीसगढ़	1
(3)	गुजरात	4
(4)	हरियाणा	1
(5)	हिमाचल प्रदेश	1
(6)	झारखंड	2
(7)	कर्नाटक	4
(8)	मध्य प्रदेश	5
(9)	महाराष्ट्र	6
(10)	उत्तर प्रदेश	10
(11)	उत्तराखंड	1
(12)	पश्चिम बंगाल	5
(13)	ओड़िशा	3
(14)	राजस्थान	3
	कुल	**52 सीटें**

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा :—

(अ) उक्त वर्णित राज्यों में प्रत्येक निर्वाचन के संबंध में :—

(क)	नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	—	19 मार्च, 2012 (सोमवार)
(ख)	नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख	—	20 मार्च, 2012 (मंगलवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख	—	22 मार्च, 2012 (वीरवार)
(घ)	वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, और	—	30 मार्च, 2012 (शुक्रवार)
(ड़)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा	—	1 अप्रैल, 2012 (रविवार)

नियत करता है; और,

(इ) 9.00 बजे पूर्वाहन् से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय, उस समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ है तो, निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा.

आदेश से,

हस्ता./-

(के. एन. भार)

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 12th March, 2012—Phalguna 22, 1933 (Saka)

NOTIFICATION

No. 318/1/2012 (1).—Whereas, the President of India has, by notification issued under section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the Gazette of India on 12th March, 2012, been pleased to call upon the elected members of each of the Legislative Assemblies of the States, specified in column (1) of the TABLE below, to elect to the Council of States, the number of members specified against that State in column (2) of the said TABLE :

TABLE

	State (1)	No. of Members to be elected (2)
(1)	Andhra Pradesh	6
(2)	Chhattisgarh	1
(3)	Gujrat	4
(4)	Haryana	1
(5)	Himachal Pradesh	1
(6)	Jharkhand	2
(7)	Karnataka	4
(8)	Madhya Pradesh	5
(9)	Maharashtra	6
(10)	Uttar Pradesh	10
(11)	Uttarakhand	1
(12)	West Bengal	5
(13)	Odisha	3
(14)	Rajasthan	3
	Total	**52 seats**

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 39 and section 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby —

(A) appoints, with respect to the said election;
- (a) the 19th March, 2012 (Monday), as the last date for making nominations;
- (b) the 20th March, 2012 (Tuesday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 22nd March, 2012 (Thrusday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 30th March, 2012 (Friday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 1st April, 2012 (Sunday), as the date before which the election shall be completed; and

(B) fixes the hours from 9.00 AM to 4.00 PM, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in all the above mentioned States on the date specified above for the election.

By order,

Sd/-
(K. N. BHAR)
Secretary to the,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च, 2012—फाल्गुन 22, 1933 (शक)

अधिसूचना

सं.-318/1/2012 (2).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य सरकार के परामर्श से राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचनों के संबंध में राष्ट्रपति की 12 मार्च, 2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसरण में इसके द्वारा :—

(I) नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है; और

(II) उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अधिकारी को, रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है.

सारणी

राज्य (1)	रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी (2)	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी (3)
1. आन्ध्र प्रदेश	सचिव, आन्ध्र प्रदेश विधान मंडल	उप सचिव, आन्ध्र प्रदेश विधान मंडल
2. छत्तीसगढ़	सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा	उप सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा
3. गुजरात	सचिव, गुजरात विधान मंडल, सचिवालय	उप सचिव, गुजरात विधान मंडल सचिवालय
4. हरियाणा	सचिव, हरियाणा विधान सभा	अतिरिक्त सचिव, हरियाणा विधान सभा
5. हिमाचल प्रदेश	सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा	श्री रवि कुमार सिंह, अवर सचिव (विधायी) हिमाचल प्रदेश विधान सभा
6. झारखंड	प्रभारी सचिव, झारखंड विधान सभा	संयुक्त सचिव, झारखंड विधान सभा
7. कर्नाटक	सचिव, कर्नाटक विधान सभा	अतिरिक्त सचिव, कर्नाटक विधान सभा
8. मध्य प्रदेश	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा	उप सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा

(1)	(2)	(3)
9. महाराष्ट्र	प्रमुख सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय	श्री गोपाल दलवी, अवर सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय
10. उत्तर प्रदेश	प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा	संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा
11. उत्तराखंड	प्रमुख सचिव, उत्तराखंड विधान सभा	संयुक्त सचिव, उत्तराखंड विधान सभा
12. पश्चिम बंगाल	सचिव, पश्चिम बंगाल विधान सभा	संयुक्त सचिव-कमेटी अधिकारी पश्चिम बंगाल विधान सभा
13. ओडिशा	सचिव, ओडिशा विधान सभा	संयुक्त सचिव, ओडिशा विधान सभा
14. राजस्थान	उप सचिव (प्रशासन), राजस्थान विधान सभा	1. श्री प्रहलाद दास पारिक, सहायक सचिव (सामान्य), राजस्थान विधान सभा 2. श्री तौफीक हुसैन हाशमी, सहायक (पी.ए.सी.), राजस्थान विधान सभा

आदेश से,

हस्ता./-
(के. एन. भार)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 12th March, 2012—Phalguna 22, 1933 (Saka)

NOTIFICATION

No. 318/1/2012 (2).—In pursuance of section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22, of the Represention of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the Government of each of the States, specified in the column (1) of the TABLE below, hereby—

(i) designates the officer, specified in the corresponding entry in column (2) of the said TABLE to be the Returning Officer; and

(ii) appoints the officer, specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer in the performance of his functions; in respect of the biennial elections to the Council of States, to be held in that State in pursuance of the Notification of the President of

India, published in the Gazette of India on 12th March, 2012 :—

TABLE

State (1)	Officer Designated as Returning Officer (2)	Officer Appointed as Assistant Returning Officer (3)
1. Andhra Pradesh	Secretary, Andhra Pradesh Legislature	Deputy Secretary, Andhra Pradesh Legislature
2. Chhattisgarh	Secretary, Chhattisgarh Vidhan Sabha	Deputy Secretary, Chhattisgarh Vidhan Sabha
3. Gujarat	Secretary, Gujarat Legislature Secretariat	Deputy Secretary, Gujarat Legislature Secretariat
4. Haryana	Secretary, Haryana Vidhan Sabha	Additional Secretary, Haryana Vidhan Sabha
5. Himachal Pradesh	Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha	Sh. Ravi Kumar Singh, Under Secretary(Leg.), Himachal Vidhan Sabha
6. Jharkhand	Secretary-in-charge, Jharkhand Legislative Assembly	Joint Secretary, Jharkhand Legislative Assembly
7. Karnataka	Secretary, Karnataka Legislative Assembly	Additional Secretary, Karnataka Legislative Assembly
8. Madhya Pradesh	Principal Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha	Deputy Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha
9. Maharashtra	Principal Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat	Sh. Gopal Dalvi, Under Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat
10. Uttar Pradesh	Principal Secretary, Uttar Pradesh Legislative Assembly	Joint Secretary, Uttar Pradesh Legislative Assembly
11. Uttarakhand	Principal Secretary, Uttarakhand Legislative Assembly	Joint Secretary, Uttarakhand Legislative Assembly
12. West Bengal	Secretary, West Bengal Legislative Assembly	Joint Secretary-cum-Committee Officer, West Bengal Legislative Assembly
13. Odisha	Secretary, Odisha Legislative Assembly	Joint Secretary, Odisha Legislative Assembly
14. Rajasthan	Deputy Secretary (Admn.), Rajasthan Vidhan Sabha	Sh. Prahlad Das Pareek, Assistant Secretary (General), Rajasthan Vidhan Sabha 2. Sh. Tofeeque Husain Hashmi, Assistant (PAC), Rajshthan Vidhan Sabha

By order,

Sd/-
(K. N. BHAR)
Secretary to the,
Election Commission of India.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.